कार्यालय कलेक्टर (आबकारी), जिला पन्ना (म0प्र0)

पन्ना, दिनांक ....

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी एवं देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के ठेकेदारों तथा इच्छुक व्यक्तियों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार, अनुमोदित व्यवस्था एवं वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि पन्ना जिले के वर्ष 2015–16 की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूह क्र. पन्ना/एफ–11, देशी मदिरा दुकान मड़ला एवं विदेशी मदिरा दुकान मड़ला के लायसेंसी द्वारा माह जनवरी 2016 द्वितीय पक्ष अंत तक की बेसिक/वार्षिक लायसेंस फीस जमा न करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त समूहों में सम्मिलित मदिरा दुकानों के लायसेंस वर्ष 2015–16 की शेष अवधि अर्थात दिनांक 10.02.2016 से 31.03.2016 तक की अवधि के लिए कलेक्टर जिला पन्ना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा कलेक्टोरेट पन्ना के सभाकक्ष में दिनांक 09.02.2016 दिन मंगलवार को निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार टेण्डर के माध्यम से पुनः निष्पादन किया जायेगा :–

टेण्डर द्वारा निष्पादन कार्यक्रम

1	टेण्डर फार्म बिक्री का दिनांक एवं समय	जिला आबकारी अधिकारी पन्ना के कार्यालय में दिनांक 02.02.2016 से दिनांक 08.02.2016 तक कार्यालयीन अवधि तक तथा दिनांक 09.02.2016 को प्रातः 10.30 बजे से दिन के 12.00 बजे तक।
2	टेण्डर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	जिला आबकारी अधिकारी पन्ना के कार्यालय में दिनांक 09.02.2016 के दोपहर 13:00 बजे तक।
3.	प्राप्त टेण्डर प्रपत्र को खोलकर निष्पादन की कार्यवाही का स्थान, दिनांक व समय।	कलेक्ट्रोरेट पन्ना के सभाकक्ष में दिनांक 09.02.2016 को दोपहर 14.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

समूह क्रमांक	मदिरा दुकानों का विवरण	बकायादार अनुज्ञप्तिधारी का नाम	वर्ष 2014–15 का वार्षिक मूल्य	वर्ष 2015–16 का आरक्षित मूल्य	वर्ष 2015–16 के लिए प्राप्त उच्चतम ऑफर की राशि (परस्पर समायोजन पश्चात्)	दिनांक 31.01.2016 को वसूली हेतु देय अवशेष बकाया राशि	वर्ष 2015–16 की शेष अवधि तक (51 दिवस) का परिगणित वार्षिक मूल्य	टेण्डर फार्म का मूल्य (रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पन्ना/एफ–11 मड़ला समूह	वि.म.दु.मड़ला	श्री बनवारी राय पिता महत्तम राय,	9387653	10795801	8176102	437922	1139293	5000
	दे.म.दु.मड़ला		3817343	4389944	3324684	45292	463276	5000
योग :–			**13204996**	**15185745**	**11500786**	**483214**	**1602569**	**10000**

विक्रय ज्ञापन तथा मादक द्रव्यों की खपत, आदि की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी पन्ना के कार्यालय से कार्यालयीन समय में (अवकाश के दिनों सहित) प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2015–16 के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की वर्ष 2015–16 की शेष अवधि में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के संचालन के लिए वही शर्ते एवं नियम लागू रहेंगे जो कि वर्ष 2015–16 में प्रकाशित विज्ञप्ति क्र. 130 दिनांक 06.02.2015 एवं विक्रय ज्ञापन वर्ष 2015–16 में वर्णित है इसकी विस्तृत जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाईड **www.mpexcise.org** एवं वेबसाईड **www.govtpressmp.gov.in** से मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण में प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक 29 दिनांक 21 जनवरी 2015 के साथ–साथ जिला आबकारी अधिकारी पन्ना के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है।

टीप :– (1) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7369/2014 के परिप्रेक्ष्य में एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 55 दिनांक 06 फरवरी 2015 द्वारा सामान्य प्रयोग के नियम अधिसूचित अनुसार वर्ष 2015–16 के लिये निष्पादित की जाने वाली देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा दुकानों की अवस्थिति निम्न प्रावधानों के तहत रहेगी :–

नियम–1 दुकानों की अवस्थिति :–

(1) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग के मध्य बिन्दु से 100 मीटर या उससे कम दूरी पर फुटकर मदिरा दुकान को स्थापित/अवस्थित नहीं किया जायेगा। साथ ही –

(अ) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग से दृश्यमान किसी भी मदिरा दुकान का प्रवेश द्वार राजमार्ग की ओर नही होगा, बल्कि मदिरा दुकान इस प्रकार स्थापित होगी कि मदिरा दुकान की पीठ राजमार्ग की ओर रहे।

(ब) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग से किसी भी मदिरा दुकान पर लगा हुआ साईन बोर्ड, दृश्यमान नहीं हो।

(स) किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग पर किसी भी मदिरा दुकान को इंगित/सूचित किये जाने वाला साईन बोर्ड भी दृश्यमान नहीं होगा

परंतु उपनियम (1) के उपबंध किसी नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत) की परिसीमा में स्थित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग के खण्ड/भाग में स्थापित/अवस्थित मदिरा दुकानों पर लागू नहीं होंगे।

2. प्राप्त ऑफर टेण्डर स्वीकृति दिनांक से मान्य होगा।

3. पुनः निष्पादन की कार्यवाही के दौरान बकायादार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 08.02.2016 तक यदि अवशेष राशि जमा करा दी जाती है तो, पुनः निष्पादन की यह कार्यवाही स्वतः निरस्त मानी जावेगी। जिसके लिये पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जायेगी।

कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)

पृ0 क्र 192/आब/ठेका/2015–16 पन्ना दिनांक 02-02-2016

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्यकर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय म0प्र0 शासन जन सम्पर्क संपर्क भवन, वाणगंगा रोड भोपाल की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि कम से कम 02 स्थानीय स्तर के समाचार पत्र, 02 राज्य स्तर के समाचार पत्र, 03 संभागीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. अपर आबकारी आयुक्त राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ।
6. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत पन्ना की ओर सूचनार्थ।
8. सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला .... की ओर सूचनार्थ।
9. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ...., जिला पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (एन.आई.सी.) पन्ना की ओर जिले की वेबसाईड में अपलोड करें।
11. सहायक संचालक जन सम्पर्क पन्ना की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
12. सहायक जिला आबकारी अधिकारी पन्ना उपरोक्त विज्ञप्ति (निष्पादन योग्य एकल समूहों की सूची सहित) का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।
13. आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त पन्ना, अजयगढ, एवं पवई की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।
14. मद्यभाडागार अधिकारी पन्ना/अमानगंज की ओर सूचनार्थ एवं प्रचारार्थ।

कलेक्टर
जिला पन्ना (म0प्र0)